Annex-2

1

संख्या– 5859   दिनांक– 7-1-13

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या 1601 /2012–13

फाइल संख्या A9-1354

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल सोसाइटी, प्रयाग युनाइटेड टावर्स-53 लीडर रोड, इलाहाबाद। को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 584/1992-93

दिनांक 23-12-92 को दिनांक 23-12-2012 से पाँच वर्ष की अवधि के

लिए नवीकृत किया गया है।

1100/- रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 07-01-2013

For United College of Engineering & Research

Authorised Signatory

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

For United College of Engineering & Research

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश [illegible] [illegible] 9?2?35

[illegible] स्टाम्प विक्रेता [illegible] AL - 1354

[illegible]

[illegible]

सहायक निबंधक [illegible]

1

संशोधित स्मृति पत्र

समिति का नाम : इस समिति का नाम शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल सोसायटी प्रयाग होगा

प्रधान कार्यालय : इस समिति का प्रधान कार्यालय युनाइटेड टावर,

53 लीडर रोड इलाहाबाद होगा

कार्यक्षेत्र : इसका कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा

समिति का उद्देश्य

स्कूल कालेज, डिग्री कालेज एवं ऐसी संस्थाओं का निर्माण जिसमें शिशु शिक्षा से लेकर उच्च कक्षाओं तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं प्रविधिक शिक्षा का समन्वय बिना किसी भेदभाव के हो।

बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तथा उनके राष्ट्रीय जीवन के समर्पित नागरिक निर्माण करना।

राष्ट्र की सर्वोच्च सेवा के लिए उन्हें तैयार करना तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजन करना।

छात्र एवं छात्राओं को उनकी योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति देना तथा उन्हें उच्च कोटि की विद्या अध्ययन हेतु संस्था की ओर से विदेश भेजना।

शिशुओं के लिए नर्सरी तथा प्राइमरी स्कूल खोलना तथा उसमें तमाम खेल-कूद के उपकरण लगाकर नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसका विकास करना।

समय -समय पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों को संस्था में बुलाना- उनके भाषण करना तथा उन्हें सम्मानित करना।

शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक संस्थाओं, निःशुल्क औषधालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, धर्मशालाओं और अन्य सदस्य कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना करना तथा प्रबन्ध करना।

संस्था की ओर से बेसहारा नागरिकों को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए लघु उद्योग लगाना तथा प्रशिक्षित करना तथा उनकी सहायता करना।

सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक विकास हेतु विशेष रूप से सदस्यों और सामान्य रूप से जन साधारण को अध्यात्मिक जिज्ञासा आदि की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

सत्य प्रतिलिपि

उप रजिस्ट्रार
फर्म्स सो० एवं चिट्स
इलाहाबाद

12

(ट) समिति के उद्देश्यार्थ चल या अचल सम्पत्ति अन्य अधिकार अथवा विशेषाधिकार जो कि उपयुक्त समझे जाएंगे को क्रय करना, पट्टे पर या बदले में लेना, किराये पर लेना अथवा प्राप्त करना और अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किस भाग में उन्नति करना, वर्धन करना, प्रबन्ध करना, पट्टे पर देना, गिरवी रखना या दूसरे किसी व्यक्ति से अंतरिक करना।

(ठ) उन समस्त कार्यों को करना जो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति में साधक- सहायक हो।

(ड) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति अन्य नामों से भी संस्थाएं संचालित कर सकती है।

(ढ) शासन से अनुमति के उपरान्त विश्वविद्यालय तथा ऑल इण्डिया मेडिकल काउंसिलिंग एवं डेन्टल काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त होने पर मेडिकल कालेज एवं डेन्टल कालेज तथा हास्पिटल की स्थापना,प्रबन्धन व संचालन करना।

(ण) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना।

(5) प्रबन्धक- इस समिति के संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया गया है और निम्न पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण करना स्वीकार किया है। इनके नाम व पते इस प्रकार हैं।

क्र. स.	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री गिरधर गोपाल गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	अध्यक्ष
2.	श्री सतपाल गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती गीता गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	उपाध्यक्ष
4.	श्री जगदीश कुमार गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	महामंत्री
5.	श्री विंकेश गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	मंत्री
6.	श्री ऋषी गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	कोषाध्यक्ष
7.	श्रीमती सुषमा गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्रीमती पूनम गुलाटी	70 बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	व्यापार	कार्यकारिणी सदस्य

हम हस्ताक्षर करता उक्त समिति का स्मृति पत्र के आधार पर निर्माण करने उसका रजिस्ट्रेशन सोसायटी एक्ट 1861 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करने की प्रार्थना करते हैं।

शिव राम दास गुलाटी मेमोरियल सोसाइटी

स्मृति पत्र

1. समिति का नाम — इस समिति का नाम शिव राम दास गुलाटी मेमोरियल सोसाइटी, प्रयाग होगा।

2. प्रधान कार्यालय — इस समिति का प्रधान कार्यालय युनाइटेड टावर, 53 लीडर रोड, इलाहाबाद होगा।

3. कार्य क्षेत्र — इसका कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

4. समिति का उद्देश्य :-

(क) स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज एवं ऐसी संस्थाओं का निर्माण जिसमें शिशु शिक्षा से लेकर उच्च कक्षाओं तथा साहितत्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा का समन्व बिना किसी भेद-भाव के हो।

(ख) बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तथा उन्हें राष्ट्रीय जीवन के प्रति समर्पित नागरिक निर्माण करना।

(ग) राष्ट्र की सर्वोच्च सेवा के लिए उन्हें तैयार करना तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम आयोजन करना।

(घ) छात्र तथा छात्राओं को उनकी योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति देना तथा उन्हें उच्च कोटि की विद्या अध्ययन हेतु संस्था की ओर से विदेश भेजना।

(ङ) शिशुओं के लिए नर्सरी तथा प्राइमरी स्कूल खोलना तथा उसमें तमाम खेल-कूद के उपकरण लगाकर नयी शिक्षा नीति के माध्यम से उनका विकास करना।

(च) समय-समय पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों को संस्था में बुलाना, उनके भाषण करवाना तथा उन्हें सम्मानित करना।

(छ) शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक संस्थाओं, निःशुल्क औषधालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, धर्मशालाओं और अन्य सदस्य कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना करना तथा प्रवन्ध करना।

(ज) संस्था की ओर से बेसहारा नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा करने की सहायता के लिए लघु उद्योग लगाना तथा प्रशिक्षित करना एवं उनकी सहायता करना।

(झ) सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास के हेतु विशेष रूप से सदस्यों और सामान्य रूप मे जनसाधारण को अध्यात्मिक जिज्ञासा आदि की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(ट) समिति के उद्देश्यार्थ चल या अचल सम्पत्ति अन्य अधिकार अथवा विशेषाधिकार जो कि अनुकूल समझे जायेंगे को क्रय करना, पट्टे पर या बदले में लेना, किराये पर लेना अथवा प्राप्त करना और अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किस भाग की उन्नति करना, वर्धन करना, प्रबन्ध करना, पट्टे पर देना, गिरवी रखना या दूसरे किसी अन्य से अन्तरित करना।

(ठ). उन समस्त कार्यों को करना जो उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में साधक या सहायक हों।

(ड) उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समिति अन्य नामों से भी संस्थायें संचालित कर सकती हैं।

5. प्रबन्धक इस समिति के संचालन हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया गया है और निम्न पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण करना स्वीकार किया है। इनके नाम व पते इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री गिरधर गोपाल गुलाटी	53, लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापार	अध्यक्ष
2.	श्री टी. डी. अहूजा	चैथम लाइन	व्यवसाय	उपाध्यक्ष
3.	श्री जगदीश कुमार गुलाटी	53, लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापार	महामंत्री
	श्री सतपाल गुलाटी	53, लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापार	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमती सुषमा गुलाटी	53, लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापार	कार्यकारिणी सदस्य
6.	श्रीमती गीता गुलाटी	53, लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापार	उपाध्यक्ष
7.	श्रीमती पूनम गुलाटी	53, लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापार	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्री विंकेश गुलाटी	53, लीडर रोड, इलाहाबाद	व्यापार	मन्त्री

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उक्त समिति का उपरोक्त स्मृति-पत्र के आधार पर निर्माण करने, इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट सन् 1861 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराने की प्रार्थना करते हैं।

सदस्य प्रतिलिपि

1.

2.

3.

4.

5. Sushma Gulati

6. G Gulati

7. Poonam Gulati

8.

शिव राम दास गुलाटी मेमोरियल सोसाइटी

नियमावली

1. **संस्था का नाम** — शिव राम दास गुलाटी मेमोरियल सोसाइटी, प्रयाग होगा।

2. **प्रधान कार्यालय** — इस संस्था का प्रधान कार्यालय युनाइटेड टावर, 53 लीडर रोड, इलाहाबाद होगा।

3. **कार्य क्षेत्र** — इसका कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

4. **संस्था का उद्देश्य** — इस संस्था के वही उद्देश्य होंगे जो संस्था के स्मृति-पत्र की धारा 4 में वर्णित है

5. **संस्था की सदस्यता** — संस्था में तीन प्रकार के सदस्य होंगे :-

(अ) आजीवन सदस्य
(ब) संरक्षक सदस्य एवं
(स) साधारण सदस्य

(अ) आजीवन सदस्य — आजीवन सदस्य वे लोग होंगे जो संस्था के पंजीकरण के समय आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त इन आजीवन सदस्यों की बहुमत से स्वीकृति बाद अन्य आजीवन सदस्य बनाये जा सकते हैं। ये सदस्य साधारण सभा सदस्य होंगे और इन्हे मताधिकार प्राप्त होगा, परन्तु आजीवन सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 11 से अधिक नही होगी।

(ब) संरक्षक सदस्य — वे सदस्य होंगे जो संस्था को 51,000/- रु. (इक्यावन हजार रुपये) का दान करें अथवा इसी लागत की सम्पत्ति समिति द्वारा संचालित विद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था में भवन का निर्माण करायेंगे। इनको सदस्य बनाने की संस्तुति आजीवन सदस्यों में से दो सदस्य अथवा अध्यक्ष करेगा। सभी सदस्यों के लिये भारत नागरिक एवं वयस्क होना अनिवार्य है।

(स) साधारण सदस्य — वे सदस्य होंगे जो इस संस्था को 21,000/- रु. (केवल इक्कीस हजार रुपये) का एकमुश्त दान करेंगे और इनको सदस्य बनाने की संस्तुति आजीवन सदस्यों में से दो सदस्य अथवा अध्यक्ष करेगा। सभी सदस्यों के लिए भारत का नागरिक एवं वयस्क होना अनिवार्य है।

6. **सदस्यता की समाप्ति** —
(अ) मृत्यु होने पर
(ब) पागल होने पर
(स) दिवालिया हो जाने पर
(द) त्याग-पत्र देने पर
(य) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने
(र) संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर सदस्यता की समाप्ति हो जायेगी।

7. **संस्था के अंग** — संस्था के दो अंग होंगे :-
(क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी सभा

18

साधारण सभा

(अ) गठन — साधारण सभा का गठन संविधान की धारा 5 में वर्णित सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

(ब) बैठक — साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी और विशेष बैठक की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) गण पूर्ति — साधारण सभा कुल संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में मान्य होगी, परन्तु यदि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के एजेण्डो के लिये सभा की बैठक बुलाई गई है तो उसके लिए गणपूर्ति का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(द) सूचना अवधि — सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पहले तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पहले होनी अनिवार्य है। यदि डाक द्वारा अन्डर पोस्टिंग सर्टिफिकेट डाक सूचना सदस्य के रजिस्टर्ड पते पर भेज दी गई है तो सूचना पर्याप्त समझी जायेगी।

(य) वार्षिक अधिवेशन — संस्था का एक वार्षिक अधिवेशन होगा जिसकी सूचना एक माह पूर्व दी जायेगी।

(र) अधिकार और कर्तव्य — प्रबंधकारिणी समिति का गठन करना, संस्था के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना, वार्षिक आय-व्यय पास करना होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति

संस्था की एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जिसकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक ग्यारह होगी। वर्तमान समिति की सदस्य संख्या आठ है।

(अ) गठन — संस्था की साधारण सभा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन चुनाव द्वारा करेगी जिसमें कम से कम 5 आजीवन सदस्यों में से तथा शेष अन्य सदस्यों में से चुने जायेंगे जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, एक मंत्री एवं एक कोषाध्यक्ष होगा तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

(ब) बैठक — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें एक वर्ष में कम से कम 3 होंगी और किसी विशेष कार्य के लिये बैठक की आवश्यकता पड़ने पर अधिक भी बुलाई जा सकती हैं।

(स) सूचना अवधि — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक के लिये 7 दिन पूर्व सूचना होना अनिवार्य है, लेकिन विशेष बैठक के लिये 2 दिन की सूचना पर्याप्त समझी जायेगी।

(द) गणपूर्ति — प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों के लिये कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा, परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के एजेण्ड पर ही बुलाई गयी बैठक के लिये गणपूर्ति का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति — प्रबन्धकारिणी समिति में हुये आकस्मिक रिक्तियों की साधारण सभा के बहुमत से चुनाव द्वारा शेष अवधि के लिये की जायगी।

(र) कार्यकाल — प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

(ल) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य — संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना, संस्था का आगामी वर्ष के लिये भावी योजना तैयार करना, संस्था की उन्नति एवं विकास के लिये हर सम्भव प्रयास करना होगा। समिति द्वारा संचालित संस्थाओं एवं उनके सभी कार्यक्रमों का प्रबन्ध

19

...ाव व्यवस्था करना। प्रबन्धकारिणी समिति का अधिकार होगा कि वह संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के लिये उप समितियां भी गठित कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भंग करके सब अधिकार अपने हाथ में ले सकती है।

...कारिणी समिति के अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष — समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना तथा समान मत होने पर निजी मत के अतिरिक्त अपना निर्णायक मत प्रदान करना। अपने विवेकानुसार साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक बुलाना तथा समिति की व्यवस्था व प्रबन्ध का उत्तरदायित्व ग्रहण करना।

उपाध्यक्ष — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यों का सम्पादन करना।

महामंत्री — संस्था का सर्वेसर्वा कार्यवाहक अधिकारी होगा। संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन एवं पदोन्नति करना। संस्था से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार करना, समिति द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का कार्य रूप में परिणत करना, वार्षिक विवरण तैयार करना, साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें बुलाना, संस्था के लिये दान अनुदान तथा शुल्क आदि प्राप्त करना तथा उन्हें संस्था के हित में उपयोग करना। सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों से आर्थिक सहायता, आदेश आदि प्राप्त करना और उसे संस्था के हित में लगाना। संस्था की समस्त कार्यवाही लिपिबद्ध करना, सुरक्षित रखना एवं समसत कागजात का रख-रखाव करना। संस्था की तरफ से समस्त प्रपत्रों, दस्तावेजों, बैनामें आदि पर हस्ताक्षर करना और इसे आवश्यकता पड़ने पर रजिस्टर्ड कराना। संस्था के अन्तर्गत चल रहे संस्थानों का प्रबन्ध करना, यदि उसके लिये कोई उप समिति निर्मित की गई है तो उसे नियंत्रित करना।

मंत्री — महामंत्री की अनुपस्थिति में महामंत्री का कार्यभार सम्भालना और उसके निर्देशानुसार उसकी सहायता करना।

कोषाध्यक्ष — संस्था के समस्त धन सम्बन्धी लिखा पढ़ी रखना और उसकी सूचना महामंत्री को देना। समिति के आय-व्यय का परीक्षित करवाना। संस्था के वार्षिक आय-व्यय को प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निश्चित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से परीक्षित करवाया जायेगा।

संस्था का आर्थिक वर्ष — संस्था का आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

1. संस्था का कोष — संस्था का समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से अथवा समिति द्वारा संचालित संस्थानों के नाम से रखा जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगा।

11. नियमावली में संशोधन — संस्था की नियमावली में किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव पर साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

28

संस्था के अभिलेख	(अ) स्टाक रजिस्टर
(ब) कार्यवाही रजिस्टर
(स) सदस्यता रजिस्टर
(द) गाकर
(य) पत्र पंजिका आदि
संस्था की अदालती कार्यवाही	संस्था की अदालती कार्यवाही का दायित्व महामंत्री का होगा। आवश्यकता पड़ने महामंत्री को अधिकार होगा कि वह इस कार्य के लिये किसी अन्य सदस्य को भी नियुक्त कर सकता है।
संस्था का विघटन.	संस्था के विघटन के समय संस्था की समस्त सम्पत्ति का निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट संख्या 21 सन् 1860 की धारा 13 और 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
15 अवशेष	उन सब विषयों पर जिनके सम्बन्ध में इस नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है, प्रबन्धकारिणी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AABTS4990G

नाम /NAME

SHIV RAM DAS GULATI MEMORIAL SOCIETY

निगमन/गठन की तिथि /DATE OF INCORPORATION/FORMATION

23-12-1992

आयकर आयुक्त, इलाहाबाद

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ALLAHABAD